भारत ने कोलगेट-पामोलिव के यूरोप में भारतीय-जायफल से निर्मित माउथवॉश (Mouthwash) को पेटेंट कराने के प्रयास को विफल किया।

अनिल कुमार*

जायफल

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.), भारत सरकार ने उपभोक्ता सामग्रियों की दिग्गज कंपनी कोलगेट - पामोलिव के द्वारा जड़ी-बूटी के सत्व वाले एक माउथवाश फार्मूले को पेटेंट करने के प्रयास को नाकाम कर दिया है। कोलगेट-पामोलिव ने दिनाँक 01 दिसम्बर 2010 को यूरोप में जायफल से निर्मित माउथवॉश को 38 यूरोपीय राज्यों में पेटेंट कराने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन में कोलगेट-पामोलिव ने भारतीय-जायफल के अर्क का प्रयोग करते हुए एक माउथवॉश एवं इस माउथवॉश को बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार करने का दावा किया था।

भारत ने कोलगेट-पामोलिव के इस पेटेंट आवेदन पर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के समक्ष् आपत्ति जाहिर करते हुए दिनांक 9 मई 2014 को ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र दायर किये। इन प्रशस्ति पत्रों के द्वारा भारत ने अपने प्राचीन मूलपाठों को उद्धृत किया जिनमे जायफल का परम्परागत तौर पर औषधीय इस्तेमाल किया जाता था। सी.एस.आई.आर. की पारम्परिक ज्ञान डिजीटल पुस्तकालय (TKDL) ने प्राचीन पुस्तकों से उद्धरणों के रूप में प्रमाण दाखिल किए, जिसमें बताया गया था कि जायफल को जड़ी-बूटी और इसके सत्व का इस्तेमाल भारतीय औषधीय प्रणाली में मुख की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता था। भारत ने चरक संहिता का हवाला देते हुए अवगत कराया की जायफल का प्राचीन समय से रोग़न की तरह इस्तेमाल हो रहा है। 'दन्तप्रभु चूर्ण मंजन' और 'सहकारवटी' का उल्लेख भी इन प्रशस्ति पत्रों में किया गया था। इसके अलावा तीसरे पक्षों ने भी कोलगेट-पामोलिव के पेटेंट-दावों के विरुद्ध तथ्य दाखिल किए।

6 अक्टूबर 2014 को यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ने ये सभी टिप्पणियाँ पेटेंट जाँच/अवलोकन रिपोर्ट के साथ कोलगेट-पामोलिव को भेज दी थी। कोलगेट-पामोलिव को इस पेटेंट जाँच/अवलोकन का जवाब 4 महीनों में देना था परन्तु सी.एस.आई.आर. की आपत्ति के उपरांत कोलगेट-पामोलिव ने इसका जवाब दाखिल नही किया। अंततः यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ने इस पेटेंट आवेदन को 22 जून 2015 को मृत घोषित कर निरस्त कर दिया है। सी.एस.आई.आर. के अथक प्रयासों से भारत एक और जैविक ज्ञान/ सुचना की चोरी रोकने में कामयाब रहा।

सी.एस.आई.आर. जैविक ज्ञान/ सुचना की चोरी रोकने के लिए दुनिया भर में विभिन्न पेटेंट कार्यालयों में दायर आवेदन पर नज़र रखता है और समय पर कार्रवाई करके गलत मंशा रखने वालों को माकूल जवाब देता है। इससे पहले भी सी.एस.आई.आर. ने अन्य देशों में हल्दी, नीम और बासमती का पेटेंट रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

* वैज्ञानिक – B (बौद्धिक संपदा प्रबंधन)
उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद
देहरादून, उत्तराखण्ड